न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।
सत्र वाद सं0 07/2022

राज्य बनाम शहजाद आदि
मु0अ0सं0 346/2021
अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,452,504,506 भा0दं0सं0
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण शहजाद, फैजान, इकराम, इन्तजार व फान्नी को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ।

1– यह कि दिनांक 10.06.2021 को समय करीब 13:45 बजे स्थान वादी का घर ग्राम तिगरी अन्तर्गत थाना क्षेत्र देवबन्द जिला सहारनपुर में आप विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहकर, जिसका सामान्य उद्देश्य वादी मुकदमा वसीम व उसके परिवार वालो को जान से मारने हेतु चोटें पहुंचाना था तथा अपने उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0दं0सं0 की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक विधि विरुद्ध समूह बनाया जिसका सामान्य उद्देश्य वादी मुकदमा वसीम व उसके परिवार वालो को जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचाना था तथा अपने उक्त विधि विरूद्ध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया गया तथा उक्त समय घातक आयुध देशी कट्टे से लैश थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य उददेश्य को अग्रसारित करने हेतु वादी मुकदमा वसीम व उसके परिवार वालो को जान से मारने की नीयत से देशी कट्टो से फायर की जो वादी मुकदमा के पिता मन्जूर को लगी तथा वह खून से लथपथ जमीन पर गिर गये। आपने यह चोटें इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में पहुंचायी कि यदि उससे उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा 307/149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य उददेश्य को अग्रसारित करने हेतु घातक हथियारों आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा वसीम के घर में अनाधिकृत रूप से गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0दं0सं0 की धारा 452 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने वादी मुकदमा वसीम व उसके परिवार वालो को अपमानित करने के उद्देश्य से गाली–गलौच की जबकि आप जानते थे कि ऐसा करने से वह प्रकोपित हो सकते है और लोक शान्ति भंग हो सकती है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा वसीम व उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 19.12.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांकः 19.12.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।